



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3738]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940

No. 3738]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का.आ. 4907(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 19 सितंबर, 2018 को वह तारीख नियत करती है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 37 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/1/2018-सीएल-1]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 4907(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 19th September 2018, as the date on which the provisions of section 37 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1 /1 /2018-CL-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.